

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0- म0म0स0-05/वे0भ0 संशोधन-128/2017 1238/ झारखंड विधान-मंडल
(सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015 के नियम- 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

::संशोधन::

- i) नियमावली के नियम-2 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य" के पश्चात् एवं "प्रति माह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक " 30,000/- (तीस हजार) रुपये" को "रु0 40,000/- (चालीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- ii) नियमावली के नियम-3 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "प्रति माह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "1,000/- (एक हजार) रुपये मात्र" को "रु0 3,000/- (तीन हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- iii) नियमावली के नियम-4 में अंकित शब्द "प्रतिमाह" के पश्चात् एवं शब्द समूह "क्षेत्रीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "20,000/- (बीस हजार) रुपये" को "रु0 65,000/- (पैंसठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- iv) नियमावली के नियम-5 में अंकित शब्द समूह "सत्कार भत्ता के रूप में" के पश्चात् तथा शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह "20,000/- (बीस हजार) रुपये" को "रु0 30,000/- (तीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- v) नियमावली के नियम-6 में अंकित शब्द "अधिकतम" के पश्चात् एवं शब्द समूह "जो भी कम हो" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "15,00,000/- (पंद्रह लाख) रुपये" को "रु0 20,00,000/- (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- vi) नियम-6 में नये उप नियम-6 (i) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है:-
"विधान सभा के सदस्यगण राशि रु0 20,00,000/- (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"
- vii) नियमावली के नियम-8 में अंकित शब्द समूह "तिथि से" के पश्चात् एवं "प्रतिदिन राज्य के अन्दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 1,500/- (एक हजार पांच सौ) मात्र" को "रु0 2,000/- (दो हजार) मात्र" से तथा शब्द "एवं" के पश्चात् तथा शब्द समूह "प्रतिदिन राज्य के बाहर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 2,000/- (दो हजार) मात्र" को "रु0 2,500/- (दो हजार पांच सौ) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- viii) नियमावली के नियम-9 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "समतुल्य राशि" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 5,00,000/- (पांच लाख)" को "रु0 6,00,000/- (छः लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

- ix) नियमावली के नियम-9 में नया उप नियम-9 (iv) के अन्तर्गत निम्न वाक्य जोड़ा जाता है—
 "प्रत्येक माननीय सदस्य हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहायत्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरुद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।"
- x) नियमावली के नियम-11 में अंकित शब्द समूह "अवधि पर्यन्त अधिकतम" के पश्चात् एवं "एकमुश्त वेतन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु 20,000/- (बीस हजार) मात्र प्रतिमाह" को शब्द "रु 35,000/- (पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xi) नियमावली के नियम-12 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह की दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु 5,000/- (पांच हजार) मात्र" को "रु 10,000/- (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xii) नियमावली के नियम-14 में "उपस्कर सुविधा" शीर्षक को "उपस्कर एवं आवास सुसज्जन" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xiii) नियमावली के नियम-14 में अंकित शब्द समूह "एक टर्म के लिए" के पश्चात् एवं "तथा इसके रखरखाव" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "1,00,000/- (एक लाख) रुपये" को "रु 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा अंकित शब्द "प्रतिवर्ष" के पश्चात् एवं शब्द "देय" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु 5,000/- (पांच हजार)" को "रु 10,000/- (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xiv) नियमावली के नियम-15 में प्रत्येक अंकित शब्द समूह "सदस्य को प्रतिमाह" के पश्चात् एवं "पत्र-पत्रिकाओं" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु 1,000/- (एक हजार) मात्र" को "रु 2,000/- (दो हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xv) नियमावली के नियम-17 में अंकित शब्द समूह "प्रत्येक सदस्य को" के पश्चात् एवं शब्द "पारिश्रमिक" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु 15,000/- (पंद्रह हजार) मात्र" को "रु 25,000/- (पच्चीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xvi) नियमावली के नियम-21 के उप नियम-21 (i) में प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को प्रतिमाह देय पेंशन की राशि रु 30,000/- (तीस हजार) मात्र को रु 40,000/- (चालीस हजार) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xvii) नियमावली के नियम-21 के उप नियम-21 (iii) में पूर्व सदस्य के पेंशन में वार्षिक वृद्धि की राशि रु 3,000/- (तीन हजार) मात्र को रु 4,000/- (चार हजार) मात्र से एवं अधिकतम सीमा रु 80,000/- (अस्सी हजार) मात्र को रु 1,00,000/- (एक लाख) मात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- xviii) नियमावली के नियम-21 के उप नियम-21 (iii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है—
 "पारिवारिक पेंशन रु 60,000 (साठ हजार) मात्र देय होगा। पूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक रु 60,000 (साठ हजार) मात्र पेंशन देय होगा।"

xix) नियमावली के नियम-21 के उप नियम-21 (iv) में अंकित शब्द समूह "पूर्व सदस्य को" के पश्चात एवं "समतुल्य राशि" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र" को शब्द "रु० 4,00,000/- (चार लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xx) नियमावली के नियम-21 में नया उप नियम-21 (iv) (a) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है:-

"प्रत्येक पूर्व सदस्य निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत अपनी सुविधानुसार रेल, हवाईयात्रा, डीजल, पेट्रोल अथवा इन चारों मदों में से किसी एक मद में सम्पूर्ण राशि का समायोजन कर सकेंगे। साथ ही हवाई यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे, इसकी प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अन्दर विपत्र के विरुद्ध विधान सभा द्वारा देय होगा।"

xxi) नियमावली के नियम-21 (v) में अंकित शब्द समूह "भूतपूर्व सदस्य को" के पश्चात तथा "प्रतिमाह चिकित्सीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु० 5,000/- (पांच हजार) मात्र" को "रु० 10,000/- (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजकुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- म०म०स०-05/वे०भ० संशोधन-128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।

प्रतिलिपि - राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- म०म०स०-05/वे०भ० संशोधन-128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक- म०म०स०-05/वे०भ० संशोधन-128/2017 1238/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई०।

प्रतिलिपि- प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक- म0म0स0-05/वे0म0 संशोधन-128/2017_____/ रांची, दिनांक , 2017 ई0।
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरण्डा/रांची को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- म0म0स0-05/वे0म0 संशोधन-128/2017_____/ रांची, दिनांक , 2017 ई0।
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं
झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं
निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


22/9/2017

सरकार के अपर सचिव